न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 29/2022, जिला सीकर

1. किशोर सिंह पुत्र सलसिंह उम्र 61 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी भग्गू सिंहवाली तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
2. कृष्ण सिंह पुत्र भैरू सिंह उम्र 45 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी भग्गू सिंहवाली तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
3. गैन्द कंवर पत्नी खूब सिंह उम्र 75 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी भग्गू सिंहवाली तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
4. बिरजू सिंह पुत्र अडीसाल उम्र 83 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी भग्गू सिंहवाली तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
5. बिरम कंवर पत्नी भगवान सिह उम्र 80 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी भग्गू सिंहवाली तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
6. भागीरथ सिंह पुत्र सलसिंह उम्र 52 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी भग्गू सिंहवाली तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
7. महेन्द्र सिंह पुत्र हरि सिंह उम्र 35 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी भग्गू सिंहवाली तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
8. रमेश कंवर पत्नी गजराज सिंह उम्र 30 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी भग्गू सिंहवाली तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
9. लालसिंह पुत्र भगवान सिंह उम्र 32 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी भग्गू सिंहवाली तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
10. अनिता कंवर पुत्री भगवान सिंह उम्र बालिग जाति राजपूत निवासी ढाणी भग्गू सिंहवाली तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
11. सार्दुल सिंह पुत्र अडीसाल सिंह उम्र 85 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी भग्गू सिंहवाली तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
2. भीमसिंह शेखावत पुत्र श्री भगवान सिंह जाति राजपूत आयु लगभग 44 वर्ष निवासी वार्ड नं0 08 ढाणी भग्गू सिंहवाली तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.11.2021 द्वारा पारित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर प्रकरण प्रार्थना पत्र संख्या 3106/2021

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित–
1. श्री के0 आर0 शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. श्री नीरज मिश्रा वकील रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से
3. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक –05.07.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 22.11.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि वाके ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित खसरा नं. 1230 से 1233, 1235 से 1242, 1254 से 1257, 1263, 1264, 1266 से 1269, 1770, 1771 कुल किता 24 कुल रकबा 16.56 है0 के अपीलांट्स व अन्य खातेदार व काश्तकार की भूमि में से तहसीलदार नीमकाथाना ने खसरा नं. 1255, 1256, 1257 व 1264 का रास्ता प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर को भेजा जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपने निर्णय दिनांक 22.12.2021 को उक्त खसरा नम्बर में प्रस्तावित रास्ता को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये।

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 22.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स किशोर सिंह पुत्र सलसिंह वगै0 द्वारा यह अपील धारा प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना 22.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित खसरा नं. 1230 से 1233, 1235 से 1242, 1254 से 1257, 1263, 1264, 1266 से 1269, 1770, 1771 कुल किता 24 कुल रकबा 16.56 है0 के अपीलांट्स व अन्य खातेदारान् की भूमि है एवं रिकॉर्ड में दर्ज है। तहसीलदार नीमकाथाना व पटवारी द्वारा बिना मौके की जॉच किये उक्त विवादित भूमि में रास्ता प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को भेजा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना मौके की जॉच, खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं जबकि उक्त भूमि में पूर्व में ना तो कोई आम व सार्वजनिक रास्ता था ना ही वर्तमान में है। प्रार्थी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क में रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भूराजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार न करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2021 पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 22.11.2021 निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त भूमि पर पूर्व से रास्ता प्रचलित है जो कि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। मौके पर रास्ता आज भी यथावत कायम है। तहसीलदार द्वारा मौका देखकर मौके की जॉच पश्चात् ही प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी को भेजा जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार नीमकाथाना ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है एवं सार्वजनिक रूप से आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से जाहिर होता है कि रास्ता मौके पर प्रचलित व पुराना है एवं केरली जोडी से पी.डब्लू.डी. तक जाता है तथा सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है एवं सभी प्रकार के साधन व आमजन आ जा सकते हैं जिससे माना जा सकता है कि राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज एवं मौके पर प्रचलित रास्ते को ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा इस संबंध में राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 में दिए गए निर्देशानुसार ही तहसीलदार के प्रस्ताव के आधार पर रास्ते का निर्णय पारित किया गया है इससे खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश वर्ष 2016 एवं 2021 के अनुरूप होने से उचित एवं विधिसम्यक है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर का निर्णय दिनांक 22.11.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/7/2023

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर